



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म लागील में जारी हु
18.01.21	<p>पत्रावली पेश हुई। उगय पक्ष उपस्थित। उगय पक्ष द्वारा वहस करनी चाही। उगय पक्षो की वहस सुनी गई। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहसा सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वागित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने वाकत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वागित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि भूमि ग्राम भरणी कलां पटवार हल्का भरणी कलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 527 रकबा 02.06 बीघा की बसागलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जगा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी,  जहाजपुर(भीलवाडा) </p> <div style="text-align: right;">  </div>	